



Indian Council of Forestry Research and Education
(An autonomous Body of Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India)

P.O. New Forest, Dehra Dun – 248006

“ICFRE Awards for Excellence in Forestry - 2020”

Applications are invited for “ICFRE Awards for Excellence in Forestry” which are given for original and outstanding work/research contribution. The categories are (a) ICFRE Personnel (**Five Awards**) (b) Non-ICFRE Individuals, Institutions and Organizations (**Six Awards**) (c) ICFRE Lifetime Achievement Award in Forestry (**One Award**).

Detailed advertisement with guidelines and proforma is available at ICFRE website www.icfre.org and at the office of ADG (Education & R.B.).

Last date of receipt of application: 30.09.2020

Complete application should be sent to

Asst. Director General (Edu. & R.B.)
Indian Council of Forestry Research and Education
P.O. New Forest, Dehra Dun – 248006
Tel: 0135-222-4850, 0135-2758348, Fax: 0135-2758571
E-mail: adg_edu@icfre.org



भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था)

डाकघर-न्यू फॉरेस्ट, देहरादून – 248 006

“वानिकी में उत्कृष्टता के लिए भा.वा.अ.शि.प. पुरस्कार-2020”

‘वानिकी में उत्कृष्टता के लिए भा.वा.अ.शि.प. पुरस्कार’ हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए जाते हैं जो कि मौलिक और विशिष्ट कार्य/अनुसंधान योगदान के लिए दिया जाता है। श्रेणियां हैं : (क) भा.वा.अ.शि.प. कार्मिक (पाँच पुरस्कार) (ख) गैर- भा.वा.अ.शि.प. व्यक्ति, संस्थाएं और संगठन (छः पुरस्कार) (ग) वानिकी में भा.वा.अ.शि.प. लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड (एक पुरस्कार)।

दिशानिर्देशों एवं प्रपत्र के साथ विस्तृत विज्ञापन भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान एवं शिक्षा परिषद् की वेबसाइट www.icfre.org तथा सहायक महानिदेशक (शिक्षा एवं भर्ती बोर्ड) के कार्यालय में उपलब्ध है।

प्रार्थना पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख: **30.09.2020**

पूर्ण प्रार्थनापत्र निम्न पते पर भेजा जा सकता है:

सहायक महानिदेशक (शिक्षा एवं भर्ती बोर्ड)

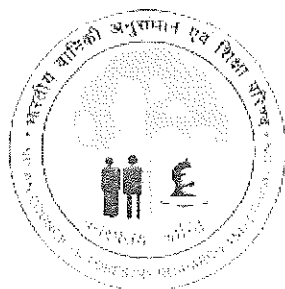
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्

डाकघर-न्यू फॉरेस्ट, देहरादून- 248 006

दूरभाष: 0135-222-4850, 0135-2758348, फ़ैक्स: 0135-2758571

ई-मेल: adg_edu@icfre.org

ICFRE AWARDS
OF
EXCELLENCE IN FORESTRY 2020



INDIAN COUNCIL OF FORESTRY RESEARCH AND EDUCATION

DEHRADUN

ICFRE AWARDS OF EXCELLENCE IN FORESTRY- 2020

1. Nominations are invited for ICFRE awards of excellence in forestry- 2020 from individuals and institutions who have done pioneering and exemplary work in the field of forestry.

The main objectives of Awards are:

- To promote and motivate the professional competence in the scientific community, including forestry professionals, technical persons and research scholars in the field of forestry.
- To encourage individuals, farmers, Village Forest Committees, Self Help Groups, institutions, organizations, NGOs and forest based industries who have contributed in the field of forestry.
- To recognize practical & applied forestry research oriented performance which has led to public welfare.
- To felicitate person(s) who have made significant contribution towards the cause of forestry.

2. **Key features of the awards:**

There shall be a total of 12 awards in the following three broad categories:

- (a) Awards for ICFRE personnel serving in ICFRE & its institutes and centres
- (b) Awards for non-ICFRE individuals, institutions & organizations.
- (c) ICFRE Lifetime Achievement award in Forestry.

A. Awards for ICFRE personnel serving in ICFRE (HQ) and its Institutes/ Centres

A (i) **ICFRE outstanding Research Award:** Under this category, there shall be **one** award of Rs. 25,000/- along with a citation and a plaque, for outstanding research done in the field of Forestry.

A (ii) **ICFRE Young Professional Award:** Under this category, there shall be **one** award of Rs. 25,000/- along with a citation and a plaque for the outstanding contribution made by the young ICFRE professional (age under 40 yrs.) working in ICFRE.

A(iii) **ICFRE Woman Professional Award:** Under this category, there shall be **one** award of Rs. 25,000/- along with a citation and a plaque for the outstanding contribution by a woman ICFRE professional working in ICFRE.

A(iv) **ICFRE Technology Innovation Award:** There shall be **one** award of Rs. 25,000/- along with a citation and a plaque, for an outstanding technology innovation which has commercial/industrial application in the field of Forestry.

A (v) **ICFRE Best Research Paper Award:** There shall be **one** award of Rs. 10,000/- with a certificate for the Best Research Paper published by an ICFRE professional.

B. Awards for Non-ICFRE Individuals, Institutions and Organizations

B (i) ICFRE Forestry Research Award: There shall be two awards under this category

B (i. a) An award of Rs. 25,000/- along with the citation and a trophy/plaque for State & UFs Forest Departments/Forest Corporations /State Agricultural Universities for their outstanding contributions in frontier areas of scientific research for the cause of forestry.

B (i. b) An award of Rs. 25,000/- along with the citation and a trophy/plaque for individuals/NGOs for their outstanding contributions in frontier areas of scientific research for the cause of forestry.

B(ii) ICFRE Community Forest Management Award: There shall be one award of Rs. 25,000/- along with the citation and a trophy/plaque for the JFMCs/EDCs/Panchayats for their outstanding contributions for the cause of forest management and conservation.

B (iii) ICFRE Forest based Industry Award: There shall be one award of Rs. 25,000/- along with the citation and a trophy/plaque for the forest based (Micro and Small Enterprises) for adopting best green practices and thereby helping in sustainable management of forests and utilization of forest produce.

B (iv) ICFRE Agroforestry Award: There shall be one award of Rs. 25,000/- along with the citation and a trophy/plaque for the farmer(s) for adopting innovative/modern agroforestry practices.

B (v) ICFRE Forest Management Award: There shall be one award of Rs. 25,000/- along with the citation and a trophy/plaque for a Forest Division of the State Forest Departments/Forest Corporations for improving the forest productivity and sustainable management of forests.

C. ICFRE Lifetime Achievement Award in Forestry: There shall be one award under this category of Rs. 50,000/- along with citation and a trophy/plaque. The award will be given to a professional working for the cause of Forestry Research, Management, Education and/or Extension, for ICFRE and Non ICFRE individuals, for exceptionally distinguished work done.

3. General Conditions

- a) The Council shall have sole right of selection of the recipients of the awards, including the formulation of the guidelines governing such selections.
- b) Due weightage will be given to publication, patenting or commercial application of the research findings.
- c) The award (other than lifetime achievement awards) would be considered on the basis of outstanding contribution made through the work done during five years preceding the year of award. In case of lifetime achievement award, the outstanding contribution made in preceding fifteen years would be considered.
- (d) The application for award should be submitted in the prescribed format duly forwarded/recommended by the competent authority wherever prescribed for each category of award.

- (e) An institution, team of scientists or individuals or any other recipient once awarded for their work shall not be eligible again for next five years.
- (f) Only Indian citizens shall be eligible for the awards.
- (g) In case of outstanding research work performed jointly and adjudged fit for an award, the amount of award would be equally shared among the awardees with individual plaque, limiting to maximum of three.
- (h) In case of non-ICFRE Institutions/ individuals, selection will be made on the basis of the certified information provided in the application in the format so devised.
- (i) Nominations received for the Award will be valid for the year for which they have been made. Past nominations will not be carried forward. A person not selected for the Award for a particular year can be re-nominated in future years with fresh application.
- (j) Each nomination or application for these awards shall be accompanied by a detailed statement of the work and achievement of the applicant as the case may be.
- (k) Applications under the following conditions will be rendered ineligible:
 - a. Nominations not forwarded as prescribed will not be considered.
 - b. Nominations not received in prescribed proforma/incomplete in any respect and /or received after the last date will not be considered.
 - c. Applicants found to be suppressing information or giving false and misleading information would be disqualified for grant of awards of excellence in forestry.

4. Broad Criteria for selection of awardees

'ICFRE Awards Committee' duly constituted by DG, Indian Council of Forest Research & Education (ICFRE) Rules shall evaluate the nominations received as per the following broad criteria as required for each category of award. The broad criteria for selection of awardees are.

- a) Scientific, technological and socio-economic relevance
- b) Scientific validity and accuracy of experimental data
- c) Significant advancement by the findings/applications to contemporary knowledge and understanding
- d) Originality in thinking, its path breaking nature and its high potential value for the future.
- e) Commercial application/commercialization of technology/ innovation.
- f) Effect on people and communities especially marginalized population especially in rural and forest fringe areas.

Proforma for nomination can be downloaded from the ICFRE's website www.icfre.gov.in or www.icfre.org and web site of MoEF & CC for different categories of awards as below.

1. Proforma A: ICFRE Scientists serving in ICFRE (HQ) and its Institutes / Centres
2. Proforma B: Awards for Non-ICFRE Individuals, Institutions and Organizations
3. Proforma C: ICFRE Lifetime Achievement Award in Forestry

Nominations, with comments of the recommending authority wherever prescribed should be sent to the **Asstt. Director General (Edu & RB)** on or before **30.09.2020** The Address for communication is

Assistant Director General (Education & RB)
ICFRE (HQ), FRI Campus, New Forest Post Office
Dehradun, Uttarakhand, Pin -248006

All applications along with the enclosures should be submitted in triplicate. No applications would be accepted if sent through email or received after due date.

ICFRE AWARDS OF EXCELLENCE IN FORESTRY- 2020

(ICFRE PERSONNEL SERVING IN ICFRE (HQ) AND ITS INSTITUTES / CENTRES)

(Submit separate application for each category of award. Applications to be submitted in triplicate with supporting documents)

1. Name of Applicant (s) (in capital letters): _____
2. Present place of posting (ICFRE(HQ)/Institute/Centre): _____
3. Designation and Division: _____
4. Sex: Male ☐ Female ☐
5. (a) Date of Birth : / / (DD/MM/YEAR)
- (b) Age as on : years / months
6. Address (O)

(R)
7. Tel/mobile No.: Tel (O) M
E Mail:
8. Category of Award for which applied : (✓ mark the Category)

A (i) ICFRE Outstanding Research Award	☐
A (ii) ICFRE Young Professional Award:	☐
A (iii) ICFRE Best Research Paper Award:	☐
A (iv) ICFRE Technology Innovation Award:	☐
A (v) ICFRE Woman Professional Award:	☐

9. Details of the academic qualifications and positions held:

a) Academic qualifications (Graduation and above) :

b) Positions held (during last 5 years) :

Sl.No.	Period	Designation	Institute	Division

10. Details of the work claimed for award (about 500 words. Please attach supporting documents as Annexure)

--

11. Impact of the work including socio-economic and monetary benefits (About 500 words. Please attach supporting documents as Annexure) :

--

12. Explain how the said work has contributed to give a leadership position and recognition to ICFRE (about 200 words)

13. Details of research papers/publications/patents on the work claimed for award (mention ratings wherever applicable) :

14. Details of the project under which the work was done along with the contribution of the applicant and other scientists involved :

15. Any other relevant information:

16. List of Publications/photographs/video CD/documents etc., enclosed relating to works described above:

- | | |
|----|----|
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |

17. Certificate:

It is certified that all statements made above are true to the best of my knowledge.

Place

Date

(Signature of the Applicant)

18. Recommendations of the Director of ICFRE Institute/DDG/Director (IC)

--

Place

Date

(Signature and Seal of the
Director of ICFRE Institute/DDG/Director (IC))

Instructions

1. This proforma (PROFORMA A) is for the awards for ICFRE personnel serving in ICFRE (HQ) and its Institutes/ Centres
2. There are 5 categories of awards, one award in each of the following categories as below
 - (i) A (i) ICFRE outstanding Research Award
 - (ii) A (ii) ICFRE Young Professional Award:
 - (iii) A (iii) ICFRE Best Research Paper Award:
 - (iv) A (iv) ICFRE Technology Innovation Award:
 - (v) A (v) ICFRE Woman Professional Award:
3. Applications should be submitted in triplicate with supporting documents. Applications received by e mail or after due date will not be considered.
4. Separate application should be submitted for each category of award.
5. The awards would be considered on the basis of outstanding contribution made through the work done during five years preceding the year of award (2015-2019).
6. In case a team of scientists is applying for an award, the personal details of the communicating applicant (address, contact nos, e-mail etc.) may be given.
7. In case of outstanding research work performed jointly and adjudged fit for an award, the amount of award would be equally shared among the awardees with individual plaque, limiting to maximum of three.
8. The recipient once awarded for their work shall not be eligible again for next five years.
9. In case of ICFRE Young Professional Award, outstanding contribution made by the young ICFRE professional (age under 40 yrs.) working in ICFRE will be considered.
10. The application for award should be submitted in the prescribed format duly forwarded/recommended by the Director of the institute/DDG/Director(IC). Nominations not forwarded as prescribed above will not be considered.
11. Nominations not received in prescribed proforma/incomplete in any respect will not be considered.
12. Applicants found to be suppressing information or giving false and misleading information would be disqualified for grant of awards of excellence in forestry.
13. The note on the awards placed in the website should also be referred to for other details.

ICFRE AWARDS OF EXCELLENCE IN FORESTRY- 2020

AWARDS FOR NON-ICFRE INDIVIDUALS, INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS

(Submit separate application for each category of award. Applications to be submitted in triplicate with supporting documents)

1. Name of Applicant(s) /Institution (in capital letters):

2. Sex (Where ever Applicable): Male Female

3. (a) Date of Birth (Where ever Applicable) : / / (DD/MM/YEAR)

4. Address (official/residential) :

5. Tel/mobile No.: Tel M

E Mail:

6. Category of Award for which applied : (✓ mark the Category)

B (i) ICFRE Forestry Research Award:

1) State & UT's Forest Departments/Forest Corporations/

State Agricultural Universities

2) Individuals/NGOs

B (ii) ICFRE Community Forest Management Award

B (iii) ICFRE Forest based Industry Award:

B (iv) ICFRE Agro forestry Award

B (v) ICFRE Forest Management Award:

7. Details of work claimed for award (about 500 words. Please attach supporting documents as Annexure)

8. Impact of the contributions including socio-economic and monetary benefits (about 200 words. Please attach supporting documents as Annexure)

9. Details of research papers/publications /patents on the work claimed for award :

10. Any other relevant information:

11. List of Publications/photographs/video CD/documents etc., enclosed relating to works described above;

- | | |
|----|----|
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |

12. Certificate:

It is certified that all statements made above are true to the best of my knowledge.

Place

Date

(Signature of applicant/authorized
signatory of Institution/organization with
name and designation)

13. Recommendations of the Head of institution (Only in case of individual applicants, who are employed)

Place

Date

(Signature and Seal of the
Head of Institution)

Instructions

1. This proforma (PROFORMA B) is for the awards for Non-ICFRE Individuals, Institutions and Organizations

2. There are 5 categories of awards, the details of which are given below

B (i) ICFRE Forestry Research Award:

- 1) State & UT's Forest Departments/Forest Corporations/
State Agricultural Universities (one award)
- 2) Individuals/NGOs (one award)

B (ii) ICFRE Community Forest Management Award (one award)

B (iii) ICFRE Forest based Industry Award (one award)

B (iv) ICFRE Agro forestry Award (one award)

B (v) ICFRE Forest Management Award (one award)

3. The awards would be considered on the basis of outstanding contribution made through the work done during five years preceding the year of award (2015-19).
4. Applications should be submitted in triplicate with supporting documents. Applications received by e-mail or after due date will not be considered.
5. Separate application should be submitted for each category of award.
6. The information like sex and date of birth are to be provided in case of individual awards only. In case a team of individuals is applying for an award, the personal details of the communicating applicant (Address, date of birth, contact nos, e-mail etc.) may be given.
7. In case of outstanding research work performed jointly and adjudged fit for an award, the amount of award would be equally shared among the awardees with individual plaque, limiting to maximum of three.
8. The recipient once awarded for their work shall not be eligible again for next five years.
9. The application for award should be submitted in the prescribed format only. In case of applicants who are applying for individual awards and are employed personnel, the application should be duly forwarded by the head of the institution.
10. Nominations not received in prescribed proforma/incomplete in any respect will not be considered.
11. Applicants found to be suppressing information or giving false and misleading information would be disqualified for grant of awards of excellence in forestry.
12. The note on the awards placed in the website should also be referred to for other details.

ICFRE AWARDS OF EXCELLENCE IN FORESTRY- 2020

CATEGORY C: ICFRE LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD IN FORESTRY

(Applications to be submitted in triplicate with supporting documents)

1. Name of Applicant (in capital letters) : _____
2. Sex : Male Female
3. (a) Date of Birth : / / (DD/MM/YEAR)
4. Address (official/residential) : _____
5. Tel/mobile No.: Tel M
E-Mail:
6. Details of the academic qualifications (Graduate and above) : _____
7. Details of the work claimed for award (about 500 words. Please attach supporting documents as Annexure)

8. Impact of the work including socio-economic and monetary benefits (about 500 words. Please attach supporting documents as Annexure) :

9. Details of research papers/publications /patents on the work claimed for award:

10. Any other relevant information:

11. List of Publications/photographs/video CD/documents etc., enclosed relating to works described above:

- | | |
|----|----|
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |

12. Certificate:

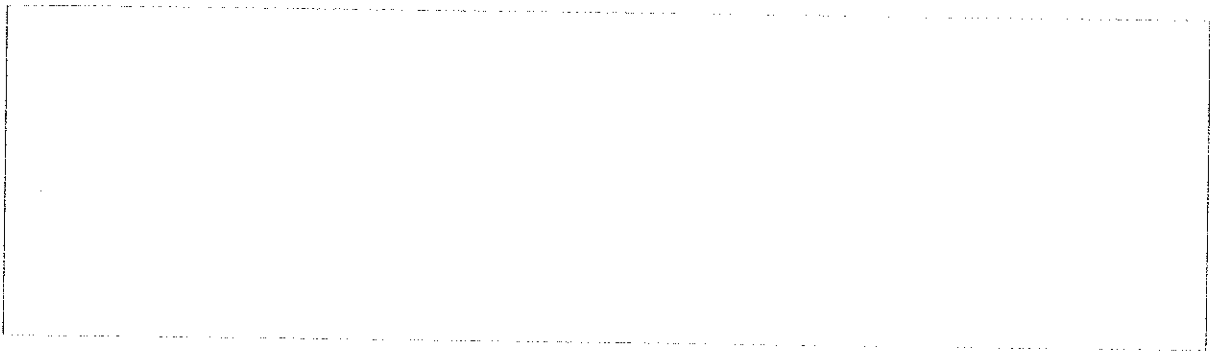
It is certified that all statements made above are true to the best of my knowledge.

Place

Date

(Signature & name of applicant)

13. Comments of the recommending authority (In case of employed personnel only) :-



Place

Date

(Signature and Seal of the
Head of Organization/recommending authority)

Instructions

1. This proforma (PROFORMA C) is for the awards for ICFRE Lifetime Achievement Award in Forestry
2. There shall be **one** award under this category and will be given to a professional (ICFRE and Non ICFRE individuals) working for the cause of Forestry Research, Management, Education and/or Extension, for exceptionally distinguished work done.
3. Applications should be submitted in triplicate with supporting documents. Applications received by email and after due date will not be considered.
4. The application for award should be submitted in the prescribed format only. In case of applicants who are employed personnel, the application should be duly forwarded by the head of the institution.
5. Nominations not received in prescribed proforma/incomplete in any respect will not be considered.
6. Applicants found to be suppressing information or giving false and misleading information would be disqualified for grant of awards of excellence in forestry.
7. The note on the awards placed in the website should also be referred to for other details.

वानिकी में उत्कृष्टता
के लिए
भा.वा.अ.शि.प. अवार्ड, 2020



भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्
देहरादून

‘वानिकी में उत्कृष्टता के लिए भा.वा.अ.शि.प. अवार्ड-2020’

1. उन व्यक्तियों तथा संस्थाओं से ‘वानिकी में उत्कृष्टता के लिए भा.वा.अ.शि.प. अवार्ड 2020’ के लिए नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं, जिन्होंने वानिकी के क्षेत्र में अग्रगामी एवं अनुकरणीय कार्य किया है।

अवार्ड के मुख्य उद्देश्य हैं:

- वानिकी के क्षेत्र में वानिकी व्यावसायकों, तकनीकी व्यक्तियों और रिसर्च स्कॉलर्स सहित वैज्ञानिक समुदाय में व्यावसायिक क्षमता प्रोत्साहित एवं प्रेरित करना।
- उन व्यक्तियों, किसानों, ग्राम वन समितियों स्वयं सहायता समूहों, संस्थाओं, संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और वनाधारित अद्योगों को प्रोत्साहित करना, जिन्होंने वानिकी के क्षेत्र में सहयोग किया है।
- उन प्रायोगिक एवं व्यावहारिक वानिकी अनुसंधानोन्मुखी प्रदर्शन की पहचान करना, जिसके फलस्वरूप जनसाधारण का कल्याण हुआ है।
- उन व्यक्ति/व्यक्तियों का अभिनन्दन करना, जिन्होंने वानिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

2. अवार्ड की मुख्य विशिष्टताएं :-

निम्न तीन विस्तृत श्रेणियों में कुल 12 अवार्ड होंगे:

- (क) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद तथा इसके संस्थानों एवं केन्द्रों में कार्यरत भा.वा.अ.शि.प. के कार्मिकों के लिए अवार्ड।
 - (ख) गैर भा.वा.अ.शि.प. व्यक्तियों, संस्थाओं एवं संगठनों के लिए अवार्ड।
 - (ग) वानिकी में भा.वा.अ.शि.प. लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड
- (क) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (मुख्यालय) और इसके संस्थानों/केन्द्रों में कार्यरत भा.वा.अ.शि.प. के कार्मिकों के लिए अवार्ड।
- क(i) भा.वा.अ.शि.प. विशिष्ट अनुसंधान अवार्ड: इस श्रेणी के अन्तर्गत वानिकी के क्षेत्र में किए गए विशिष्ट अनुसंधान के लिए एक प्रशंसा पत्र एवं पट्टिका के साथ रुपये 25,000/- का एक अवार्ड होगा।
 - क(ii) भा.वा.अ.शि.प. युवा व्यावसायिक अवार्ड: इस श्रेणी के अन्तर्गत भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद में कार्यरत युवा भा.वा.अ.शि.प. व्यावसायिक (40 साल से कम आयु) द्वारा किए गए विशिष्ट सहयोग के लिए प्रशंसा पत्र तथा पट्टिका के साथ रुपये 25,000/- का एक अवार्ड होगा।
 - क(iii) महिला व्यावसायिक अवार्ड: इस श्रेणी के अन्तर्गत, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद में कार्यरत महिला भा.वा.अ.शि.प. व्यावसायिक द्वारा किए गए विशिष्ट सहयोग के लिए प्रशंसा पत्र तथा पट्टिका के साथ रुपये 25,000/- का एक अवार्ड होगा।
 - क(iv) भा.वा.अ.शि.प. प्रौद्योगिकी नवाचार अवार्ड: उस एक विशिष्ट प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए प्रशंसा पत्र तथा पट्टिका के साथ रुपये 25,000/- का एक अवार्ड होगा, जिसका वानिकी के क्षेत्र में व्यापारिक/औद्योगिक अनुप्रयोग है।
 - क(v) भा.वा.अ.शि.प. सर्वोत्तम शोध-पत्र अवार्ड: भा.वा.अ.शि.प. व्यावसायिक द्वारा प्रकाशित सर्वोत्तम शोध पत्र के लिए प्रशंसा पत्र के साथ रुपये 10,000/- का एक अवार्ड होगा।

(ख) गैर —भा.वा.अ.शि.प. व्यक्तियों, संस्थओं एवं संगठनों के लिए अवार्ड

ख (i) भा.वा.अ.शि.प. वानिकी अनुसंधान अवार्ड: इस श्रेणी के अन्तर्गत दो अवार्ड होंगे:

ख(i-ए) राज्य एवं संघ क्षेत्र वन विभागों/वन निगमों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के लिए, वानिकी के निमित्त वैज्ञानिक अनुसंधान के अग्रणी क्षेत्रों में उनके विशिष्ट सहयोग हेतु, प्रशंसा पत्र तथा एक ट्राफी/पट्टिका के साथ रुपये 25,000/- का एक अवार्ड।

ख(i-बी) व्यक्तियों/गैर सरकारी संगठनों के लिए, वानिकी के निमित्त वैज्ञानिक अनुसंधान के अग्रणी क्षेत्रों में उनके विशिष्ट सहयोग हेतु, प्रशंसा-पत्र तथा एक ट्राफी/पट्टिका के साथ रुपये 25,000/- का एक अवार्ड।

ख(ii) भा.वा.अ.शि.प. सामुदायिक वन प्रबंध अवार्ड: संयुक्त वन प्रबंध समितियों/ई.डी.सी./पंचायतों के लिए, वन प्रबंध एवं संरक्षण के क्षेत्र में उनके विशिष्ट सहयोग हेतु, प्रशंसा-पत्र तथा एक ट्राफी/पट्टिका के साथ रुपये 25,000/- का एक अवार्ड होगा।

ख(iii) भा.वा.अ.शि.प. वनाधरित उद्योग अवार्ड: वनाधरित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए, सर्वोत्तम धरित पद्धतियां अपनाने और इसके द्वारा वन उपज के उपयोजन एवं वनों के पोषणीय प्रबंधन में सहायता करने हेतु, प्रशंसा-पत्र एवं एक ट्राफी/पट्टिका के साथ रुपये 25,000/- का एक अवार्ड होगा।

ख(iv) भा.वा.अ.शि.प. कृषि वानिकी अवार्ड: कृषकों के लिए नवीनतम/आधुनिक कृषि वानिकी पद्धतियां अपनाने हेतु, प्रशंसा-पत्र एवं एक ट्राफी/पट्टिका के साथ रुपये 25,000/- का एक अवार्ड।

ख(v) भा.वा.अ.शि.प. वन प्रबंध अवार्ड: राज्य वन विभागों/वन निगमों के एक वन प्रभाग के लिए, वन उत्पादकता तथा वनों के पोषणीय प्रबंधन में सुधार करने हेतु, प्रशंसा-पत्र एवं एक ट्राफी/पट्टिका के साथ रुपये 25,000/- का एक अवार्ड।

(ग) वानिकी में भा.वा.अ.शि.प. लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड: इस श्रेणी के अन्तर्गत प्रशंसा-पत्र पत्र तथा एक ट्राफी/पट्टिका के साथ रुपये 50,000/- का एक अवार्ड दिया जाएगा। यह अवार्ड वानिकी अनुसंधान, प्रबंधन, शिक्षा और/अथवा विस्तार के क्षेत्र में कार्यरत ऐसे व्यावसायिक को प्रदान किया जाएगा, जिसने इस क्षेत्र में असाधारण रूप से विलक्षण कार्य किया हो।

3. सामान्य शर्तें

(अ) परिषद् के पास इस प्रकार के व्ययों के संवादन के दिशा निर्देशों के नियमन सहित अवार्ड के प्राप्त कर्ताओं के व्यय का एकमात्र अधिकार होगा।

(आ) अनुसंधान परिणामों के प्रकाशन, पैटन्टिंग अथवा व्यापारिक उपयोग को उचित महत्व दिया जाएगा।

(इ) अवार्ड के पूर्ववर्ती पाँच सालों के दौरान किए गए कार्य के जरिए किए गये विशिष्ट योगदान के आधार पर अवार्ड (लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड के अतिरिक्त) देने पर विचार किया जाएगा। लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड के मामले में, पूर्ववर्ती पन्द्रह सालों में किए गए विशिष्ट योगदान पर विचार किया जाएगा।

(ई) अवार्ड के लिए प्रार्थना पत्र विहित फॉर्मेट में प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा इसे राक्षम अधिकारी जहाँ कहीं अवार्ड की प्रत्येक श्रेणी के लिए विहित किया गया है, द्वारा की पूरी तरह अग्रणीत/संस्तुत किया गया है।

- (उ) जिस किसी भी संस्था, वैज्ञानिकों के दल अथवा व्यक्तियों अथवा किसी भी अन्य प्राप्तिकर्ता ने अपने कार्य के लिए एक बार अवार्ड प्राप्त कर लिया है तो वह अगले पाँच सालों के लिए दुबारा पात्र नहीं होगा।
- (ऊ) अवार्ड के लिए केवल भारतीय नागरिक पात्र होंगे।
- (ए) संयुक्त रूप से निष्पादित और एक अवार्ड के लिए उपयुक्त पाए गए विशिष्ट अनुरांधान कार्य के मामले में अवार्ड की राशि को अधिकतम तीन तक की सीमा में रखते हुए एकल पट्टिका के साथ अवार्ड प्राप्त करने वालों में समान रूप से बांटा जाएगा।
- (ऐ) गैर भा.वा.अ.शि.प. संस्थाओं/व्यक्तियों के मामले में इस प्रकार प्रकल्पित फॉर्मेट में प्रार्थनापत्र में उपलब्ध कराई गई प्रमाणिकृत सूचना के आधार पर चयन किया जाएगा।
- (ओ) अवार्ड के लिए प्राप्त नामांकन केवल उस वर्ष के लिए ही वैध होगा, जिस वर्ष के लिए उन्हें किया गया है। पूर्व नामांकनों को आगे नहीं ले जाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी विशेष वर्ष हेतु अवार्ड के लिए चयनित नहीं होता है तो वह नए प्रार्थनापत्र के साथ आगामी वर्षों में पुनः नामांकित हो सकता है।
- (औ) इन अवार्डों के लिए प्रत्येक नामांकन अथवा प्रार्थनापत्र के साथ आवेदक के कार्य एवं अपलब्धि का विस्तृत ब्योरा, जैसा भी मामला हो, संलग्न होना चाहिए।
- (अ) निम्न स्थितियों के तहत प्रार्थनापत्रों को अयोग्य समझा जाएगा :-
 - (क) विहित किए गए अनुसार अग्रेषित नहीं किए गए नामांकनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
 - (ख) विहित प्रपत्र में नहीं प्राप्त होने वाले नामांकनों/किसी भी तरह से अपूर्ण और/अथवा अंतिम तारीख के बाद प्राप्त नामांकनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
 - (ग) यदि आवेदक गोलगाल सूचना अथवा झूठी एवं भ्रामक सूचना देते हुए पाया गया तो उसे वानिकी में उत्कृष्टता का अवार्ड प्रदान करने के लिए अयोग्य कर दिया जाएगा।

4. अवार्डों के चयन हेतु विस्तृत मापदण्ड

महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुरांधान एवं शिक्षा परिषद् द्वारा गठित 'भा.वा.अ.शि.प. अवार्ड समिति', भारतीय वानिकी अनुरांधान एवं शिक्षा परिषद् (भा.वा.अ.शि.प.) नियमावली के तहत निम्न विस्तृत मापदण्ड, जैसा अवार्ड की प्रत्येक श्रेणी के लिए वांछित है, के अनुसार प्राप्त नामांकनों का मूल्यांकन करेगी। अवार्डों के चयन हेतु विस्तृत मापदण्ड है :-

- (i) वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय एवं सामाजिक-आर्थिक प्रासंगिकता।
- (ii) वैज्ञानिक वैद्यता तथा प्रायोगिक आँकड़ों की परिशुद्धता।
- (iii) पारम्परिक ज्ञान एवं समझ के लिए परिणामों/अनुप्रयोगों द्वारा महत्वपूर्ण उन्नति।
- (iv) विचारों में मौलिकता, इसकी पथ अन्वेषक प्रकृति और भविष्य के लिए इसके उच्च क्षमता मान।
- (v) प्रौद्योगिकी/नवाचार का व्यापक अनुप्रयोग/व्यापककरण।
- (vi) विशेषकर ग्रामीण एवं वन सीमा क्षेत्रों में लोगों एवं समुदायों विशेषतः उपान्तीय आबादी पर प्रभाव।

नीचे दिए अनुसार अवार्डों की विभिन्न श्रेणियों के लिए नामांकन करने हेतु प्रपत्र भारतीय वानिकी अनुरांधान एवं शिक्षा परिषद् की वेबसाइट www.icfre.gov.in अथवा www.icfre.org और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेब साइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

1. प्रपत्र-क : भा.वा.अ.शि.प. (मुख्यालय) और इसके संस्थानों/केन्द्रों में कार्यरत भा.वा.अ.शि.प. के वैज्ञानिक।
2. प्रपत्र-ख : भा.वा.अ.शि.प. व्यक्तियों, संस्थओं एवं संगठनों के लिए अवार्ड।
3. प्रपत्र-ग : वानिकी में भा.वा.अ.शि.प. लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड।

संस्तुत करने वाले प्राधिकारी की टिप्पणी, जहाँ विहित किया गया है, के साथ नामांकन दिनांक 30.09.2020 तक अथवा इससे पहले सहायक महानिदेशक (शिक्षा एवं भर्ती बोर्ड) के कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए। पत्राचार हेतु पता इस प्रकार है:

सहायक महानिदेशक (शिक्षा एवं भर्ती बोर्ड)
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् (मुख्यालय)
वन अनुसंधान संस्थान परिसर, डाकघर न्यू फॉरेस्ट,
देहरादून, उत्तराखण्ड, पिन 248006

संलग्नकों के साथ सभी प्रार्थनापत्र तीन प्रतियों में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। ई मेल के जरिए भेजे गए अथवा नियत तिथि के बाद प्राप्त किसी भी प्रार्थनापत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

वानिकी में उत्कृष्टता के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् अवार्ड-2020

(भा0व0अ0शि0प0 (मुख्यालय) एवं इसके संस्थानों/केन्द्रों में कार्यरत भा0व0अ0शि0प0 कर्मिक)
(अवार्ड की प्रत्येक श्रेणी के लिए पृथक-पृथक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करें। प्रार्थनापत्र सहायक प्रलेखों के साथ
तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा)

1. आवेदक का नाम
2. तैनाती का वर्तमान स्थान (भा0व0अ0शि0प0 मुख्यालय/संस्थान/केन्द्र).....
3. पदनाम एवं प्रमाण
4. लिंग : पुरुष.....स्त्री.....
5. (क) जन्मतिथि :/...../.....(दिन/माह/वर्ष)
(ख) दिनांक.....को आयु: वर्ष.....माह.....
6. पता (कार्यालय)
.....
(आवास):
.....
7. दूरभाष/मोबाइल नं० दूरभाष मोबाइल.....ई-मेल.....
.....
8. अवार्ड की श्रेणी जिसके लिए आवेदन किया है: (श्रेणी पर सही का निशान लगाएं)
क (i) भा0व0अ0शि0प0 विशिष्ट अनुसंधान अवार्ड: ☐
क (ii) भा0व0अ0शि0प0 युवा व्यावसायिक अवार्ड: ☐
क (iii) भा0व0अ0शि0प0 सर्वोत्तम शोधपत्र अवार्ड: ☐
क (iv) भा0व0अ0शि0प0 प्रौद्योगिकी नवाचार अवार्ड: ☐
क (v) भा0व0अ0शि0प0 महिला व्यावसायिक अवार्ड: ☐

9. शैक्षिक योग्यताओं एवं धारित पदों का ब्योरा:

(अ) शैक्षिक योग्यताएं (स्नातक और इससे अधिक)

(आ) धारित पद (गत पाँच सालों के दौरान)

क्र०सं०	अवधि	पदनाम	संस्थान	प्रभाग

10. अवार्ड के लिए घोषित कार्य का ब्योरा (करीब 500 शब्दों में)। कृपया संलग्नक के रूप में सहायक प्रलेखों को संलग्न करें।

--

11. सामाजिक-आर्थिक एवं आर्थिक लाभों सहित कार्य का प्रभाव (करीब 500 शब्दों में) कृपया संलग्नक के रूप में सहायक प्रलेखों को संलग्न करें।

--

12. कृपया स्पष्ट करें कि कैसे वित्तिय कार्य ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् को एक नेतृत्व अवस्था एवं पहचान देने में योगदान दिया है। (करीब 200 शब्दों में)।

13. अवार्ड के लिए घोषित कार्य पर शोध पत्रों/प्रकाशनों/पेटेंटों का व्योरा (श्रेणी उल्लिखित करें, जहाँ कहीं लागू हैं):

14. आवेदक तथा शामिल अन्य वैज्ञानिकों के योगदान के साथ परियोजना का व्योरा दे, जिसके अन्तर्गत कार्य किया गया:

15. कोई भी अन्य सम्बद्ध सूचना :

16. उपर्युक्त वित्तिय कार्यों से संबंधित प्रकाशनों की सूची/फोटोग्राफ/वीडियो सी.डी./दस्तावेज आदि संलग्न करें।

1.

2.

3.

4.

5.

6.

17. प्रमाणपत्र :

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त दिए गए सभी विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है।

स्थान:

दिनांक:

(आवेदक के हस्ताक्षर)

18. भा0व0अ0शि0प0 संस्थान के निदेशक/उप महानिदेशक/निदेशक (आई. सी.) की संस्तुति

स्थान:

दिनांक:

(भा0व0अ0शि0प0 संस्थान के निदेशक/
उप महानिदेशक/निदेशक (आई. सी.)
के हस्ताक्षर एवं मोहर)

निर्देश

1. अवार्ड हेतु यह प्रपत्र (प्रपत्र-क) भा0व0अ0शि0प0 (मुख्यालय) और इसके संस्थानों/केंद्रों में कार्यरत भा0व0अ0शि0प0 कार्मिकों के लिए है।
2. अवार्डों की पाँच श्रेणियाँ हैं। नीचे दिए अनुसार निम्न श्रेणियों में से प्रत्येक में एक एक अवार्ड है:
 - (i) क(i) भा0व0अ0शि0प0 विशिष्ट अनुराधान अवार्ड:
 - (ii) क(ii) भा0व0अ0शि0प0 युवा व्यावसायिक अवार्ड:
 - (iii) क(iii) भा0व0अ0शि0प0 सर्वोत्तम शोधपत्र अवार्ड:
 - (iv) क(iv) भा0व0अ0शि0प0 प्रौद्योगिकी नवाचार अवार्ड:
 - (v) क(v) भा0व0अ0शि0प0 महिला व्यावसायिक अवार्ड:
3. प्रार्थनापत्र सहायक प्रलेखों के साथ तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ई-मेल अथवा नियत तिथि के बाद प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. अवार्ड की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
5. अवार्ड के पूर्ववर्ती पाँच सालों (2015-2019) के दौरान किए गए कार्य के जरिए किए गए विशिष्ट सहयोग के आधार पर अवार्ड पर विचार किया जाएगा।
6. अवार्ड के लिए आवेदन करने वाले वैज्ञानिकों की टीम के मामले में, भाग लेने वाले आवेदकों का व्यक्तिगत बोरा (पता, सम्पर्क नूम्बर, ई-मेल आदि) दिया जाए।
7. संयुक्त रूप से निष्पादित और अवार्ड के लिए उपयुक्त पाए गए विशिष्ट अनुराधान कार्य के मामले में, अवार्ड की राशि को अधिकतम तीन तक की सीमा में रखते हुए एकल पट्टिका के साथ अवार्ड प्राप्त वालों में समान रूप से बाँटा जाएगा।
8. अपने कार्य के लिए जितने एक बार अवार्ड प्राप्त कर लिया है, तो वह अगले पाँच सालों के लिए दुबारा पात्र नहीं होगा।
9. भा0व0अ0शि0प0 युवा व्यावसायिक अवार्ड के मामले में, भारतीय वाणिजी अनुराधान एवं शिक्षा परिषद में कार्यरत युवा भा0व0अ0शि0प0 व्यावसायिक (40 साल से कम) द्वारा किए गए विशिष्ट योगदान पर विचार किया जाएगा।
10. अवार्ड के लिए प्रार्थनापत्र केवल विहित फॉर्मेट में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इसे संस्थान के निदेशक/उप महानिदेशक/निदेशक (आईसी) द्वारा अंग्रेषित/संस्तुत किया गया हो। उपर्युक्त विहित किए गए अनुसार अंग्रेषित नहीं किए गए नामांकनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
11. विहित प्रपत्र में नहीं प्राप्त होने वाले/किसी भी तरह से अपूर्ण नामांकनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
12. यदि आवेदक गोल माल सूचना अथवा झूठी एवं भ्रामक सूचना देते हुए पाया गया तो उसे वाणिजी में उत्कृष्टता का अवार्ड प्रदान करने के लिए अयोग्य कर दिया जाएगा।
13. वेबसाइट में डाले गए अवार्डों पर नोट को भी अन्य बोरों के लिए देख सकते हैं।

वानिकी में उत्कृष्टता के लिए भा0वा0अ0शि0प0 अवार्ड - 2020

गैर - भा0वा0अ0शि0प0 व्यक्तियों, संस्थाओं एवं संगठनों के लिए अवार्ड

(अवार्ड की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। प्रार्थना पत्र सहायक प्रलेखों के साथ तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा)

1. आवेदक का नाम/संस्था
2. लिंग (जहाँ कहीं लागू हो): पुरुष..... स्त्री
3. जन्म तिथि (जहाँ कहीं लागू हो):/...../..... दिन/माह/वर्ष
पता (कार्यालय)

आवास

4. दूरभाष नं./मोबाइल नं. : दूरभाष मोबाइल
ई -मेल

5. अवार्ड की श्रेणी, जिसके लिए आवेदन किया है (श्रेणी पर सही का निशान लगाए)

ख (i) भा.वा.अ.शि.प. वानिकी अनुसंधान अवार्ड:

(1) राज्य/राज्य क्षेत्र वन विभाग/वन निगम/राज्य कृषि विश्वविद्यालय

(2) एकल व्यक्ति/गैर सरकारी संगठन

ख(ii) भा.वा.अ.शि.प. सामुदायिक वन प्रबंध अवार्ड

ख(iii) भा.वा.अ.शि.प. वनाधारित उद्योग अवार्ड

ख(iv) भा.वा.अ.शि.प. कृषि वानिकी अवार्ड:

ख(v) भा.वा.अ.शि.प. वन प्रबंध अवार्ड:

6. अवार्ड के लिए घोषित कार्य का ब्योरा (करीब 500 शब्द)। कृपया संलग्नक के रूप में साहायक प्रलेखों को संलग्न करें।

7. सामाजिक आर्थिक तथा आर्थिक लाभों सहित योगदान का प्रभाव (करीब 200 शब्द)। कृपया संलग्नक के रूप में साहायक प्रलेखों को संलग्न करें।

8. अवार्ड के लिए घोषित कार्य पर शोध पत्रों/प्रकाशनों/पेटेन्टों का ब्योरा:

9. कोई भी अन्य सम्बन्ध सूचना:

10. उपर्युक्त वर्णित कार्यों से संबंधित प्रकाशनों की सूची/फोटोग्राफ/वीडियो सी डी/दस्तावेज आदि संलग्न करें।

1.

2.

3.

4.

5.

6.

11. प्रमाण पत्र:

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त दिए गए सभी विवरण गैरी जानकारी के अनुसार सत्य है।

स्थान:

दिनांक:

(नाम एवं पदनाम के साथ
आवेदक / संस्थान / संगठन
के प्रधिकृत हस्ताक्षर कर्ता के हस्ताक्षर)

12. संस्था के प्रमुख की संस्तुति (केवल उन व्यक्तिगत आवेदकों के मामले में, जो नियुक्त हैं)

--

स्थान:

दिनांक:

(संस्था के प्रमुख के
हस्ताक्षर एवं मोहर)

निर्देश

1. अवार्ड हेतु यह प्रपत्र (प्रपत्र - ख) गैर - भा0वा0अ0शि0प0 व्यक्तियों, संस्थाओं एवं संगठनों के लिए है।
2. अवार्डों की पाँच श्रेणियाँ हैं, जिसके व्योरे नीचे दिए गए हैं
ख(i) भा.वा.अ.शि.प. वानिकी अनुराधान अवार्ड:
(1) राज्य/संघ क्षेत्र वन विभागों/वन निगमों/राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एक अवार्ड)
(2) व्यक्तियों/गैर सरकारी संगठन (एक अवार्ड)
ख(ii) भा.वा.अ.शि.प. सामुदायिक वन प्रबंध अवार्ड (एक अवार्ड)
ख(iii) भा.वा.अ.शि.प. वनाधारित उद्योग अवार्ड (एक अवार्ड)
ख(iv) भा.वा.अ.शि.प. कृषिवानिकी अवार्ड (एक अवार्ड)
ख(v) भा.वा.अ.शि.प. वन प्रबंध अवार्ड (एक अवार्ड)
3. अवार्ड के पूर्ववर्ती पाँच सालों (2015-2019) के दौरान किए गए कार्य के जरिए किए गए विशिष्ट सहयोग के आधार पर अवार्ड पर विचार किया जाएगा।
4. प्रार्थनापत्र सहायक प्रलेखों के साथ तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ई मेल अथवा नियत तिथि के बाद प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. अवार्ड की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग अलग प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
6. लिंग तथा जन्मतिथि जैसी सूचना केवल व्यक्तिगत अवार्डों के मामले में उपलब्ध कराई जानी है। अवार्ड के लिए आवेदन वाले करने वाले व्यक्तियों को टीम के मामले में भाग लेने वाले आवेदकों का व्यक्तिगत व्योरा (पता, जन्मतिथि, सम्पर्क, दूशाष रां., ई-मेल आदि) दिया जाए।
7. संयुक्त रूप से निष्पादित और अवार्ड के लिए उपयुक्त पाए गए विशिष्ट अनुराधान कार्य के मामले में, अवार्ड की राशि को अधिकतम तीन तक की सीमा में रखते हुए एकल पट्टिका के साथ अवार्ड प्राप्त करने वालों में समान रूप से बाँटा जाएगा।
8. अपने कार्य के लिए जिसने एक बार अवार्ड प्राप्त कर लिया है तो वह अगले पाँच सालों के लिए दुबारा पात्र नहीं होगा।
9. अवार्ड कार्य के लिए प्रार्थनापत्र केवल विहित फॉर्मेट में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसे आवेदकों के मामले में, जो व्यक्तिगत अवार्डों के लिए आवेदन कर रहे हैं और नौकरी में लगे कार्मिक हैं, उनके प्रार्थनापत्र संस्था के प्रमुख द्वारा अभ्येक्षित होने चाहिए।
10. विहित प्रपत्र में नहीं प्राप्त होने वाले/किसी भी तरह से अपूर्ण नामांकनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
11. यदि आवेदक गोलमाल सूचना अथवा झूठी एवं भ्रामक सूचना देते हुए पाया गया तो उसे वानिकी में उत्कृष्टता का अवार्ड प्रदान करने के लिए अयोग्य कर दिया जाएगा।
12. वेबसाइट में आले गए अवार्डों पर नोट को भी अन्य व्योरो के लिए देख सकते हैं।

वानिकी में उत्कृष्टता के लिए भा0वा0अ0शि0प0 अवार्ड -- 2020

श्रेणी ग : वानिकी में भा0वा0अ0शि0प0 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड
(प्रार्थनापत्र सहायक प्रलेखों के साथ तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा)

1. आवेदक का नाम
2. लिंग : पुरुष.....स्त्री.....
3. जन्मतिथि :/...../..... (दिन/माह/वर्ष)
4. पता (कार्यालय)

(आवास):

5. दूरभाष/मोबाइल नं0 दूरभाष मोबाइल..... ई-मेल

6. शैक्षिक योग्यताओं का व्योरा (सनातन तथा इससे ऊपर)

7. अवार्ड के लिए घोषित कार्य का व्योरा (करीब 500 शब्द, कृपया संलग्नक के रूप में सहायक प्रलेखों को संलग्न करें)

--

8. सामाजिक, आर्थिक तथा आर्थिक लाभों सहित योगदान का प्रभाव (करीब 500 शब्द, कृपया संलग्नक के रूप में सहायक प्रलेखों को संलग्न करें)

--

9. अवार्ड के लिए घोषित कार्य पर शोध पत्रों/प्रकाशनों/पेटेन्टों का ब्योरा :

10. कोई भी अन्य सम्बंध सूचना:

11. उपर्युक्त वर्णित कार्यों से संबंधित प्रकाशनों की सूची/फोटोग्राफ/वीडियो सी डी/दस्तावेज आदि संलग्न करें।

1.

2.

3.

4.

5.

6.

12. प्रमाण पत्र:

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त दिए गए सभी विवरण सही जानकारी के अनुसार सत्य हैं।

स्थान:

दिनांक:

(आवेदक का नाम व हस्ताक्षर)

13. संस्तुति करने वाले प्राधिकारी की टिप्पणी (केवल नियुक्त कार्मिक के मामले में)

स्थान:

दिनांक:

(संस्था के प्रमुख / संस्तुति करने वाले
प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

निर्देश

1. यह प्रपत्र (प्रपत्र ग) वागिकी में भा0वा0अ0शि0प0 लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए है।
2. इस श्रेणी के अन्तर्गत एक अवार्ड दिया जाएगा तथा यह अवार्ड वागिकी अनुसंधान, प्रबंधन, शिक्षा और/अथवा विस्तार के क्षेत्र में कार्यरत ऐसे व्यावसायिक (भा0वा0अ0शि0प0 तथा गैर भा0वा0अ0शि0प0 व्यक्तियों) को प्रदान किया जाएगा, जिसने इस क्षेत्र में असाधारण रूप से विलक्षण कार्य किया हो।
3. प्रार्थनापत्र साहायक प्रलेखों के साथ तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ई-मेल और नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदनपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. अवार्ड के लिए प्रार्थनापत्र केवल विहित फार्मेट में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसे आवेदकों के मामले में जो नौकरी में लगे कार्मिक हैं, उनके प्रार्थनापत्र संस्था के प्रमुख द्वारा आशेषित होने चाहिए।
5. विहित प्रपत्र में नहीं प्राप्त होने वाले/किसी भी तरह से अपूर्ण नामांकनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. यदि आवेदक गोलगल सूचना अथवा झूठी एवं ग्राहक सूचना देते हुए पाया गया तो उसे वागिकी में उत्कृष्टता का अवार्ड प्रदान करने के लिए अयोग्य कर दिया जाएगा।
7. वेबसाइट में आले गए अवार्डों पर नोट को भी अन्य व्योरो के लिए देख सकते हैं।